बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–3490 दिनांक–20.11.2017 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रूपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–3490 दिनांक–20.11.2017 द्वारा 100.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या–3834 दिनांक–20.12.2017 द्वारा 400.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या–365 दिनांक–07.02.2019 द्वारा 186.3732 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या–1220 दिनांक–27.05.2019 द्वारा 100.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या–2084 दिनांक–05.08.2019 द्वारा 125.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 911.3732 करोड़ रूपये साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि 911.3732 करोड़ रूपये के अतिरिक्त साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा 150.00 करोड़ रूपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0–33/11 KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 के पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0–33/11 KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 पृष्ठ संख्या–85/टि0 पर दिनांक–27.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 2386 /पटना, दिनांक–02/09/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।